{मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत}

"सेवा प्रदाय सहकारी समिति नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज, जबलपुर"

उपविधियाँ

(1) नाम, पता एवं कार्यक्षेत्र

समिति का नाम :– **"सेवा प्रदाय सहकारी समिति नेताजी सुभाषचंद बोस मेडिकल कॉलेज, जबलपुर**

पंजीकृत पता :– मेडिकल कॉलेज, जबलपुर (म.प्र.)

कार्यक्षेत्र :– मेडिकल कॉलेज एवं नगर निगम सीमा, जबलपुर तक

(2) परिभाषाएँ

इन उपनियमों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :–

2.1 "अधिनियम" से तात्पर्य "म.प्रस सहकारी सोसायअी अधिनियम 1960 से होगा।

2.2 "नियम" से तात्पर्य अधिनियम के अंतर्गत बने म.प्र. सहकारी समितियां नियम 1962 से है।

2.3 "संस्था" का अर्थ उपविधि क्रमांक एक में वर्णित संस्था से है।

2.4 "उपविधियां" का अर्थ संस्था के लिए पंजीकृत वर्णित संस्था से है।

2.5 "रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत, इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन नियुक्त सरकारी सोसाईटियों का रजिस्ट्रार और बहुराज्य सहकारी सोसाईटियों के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त केन्द्रीय रजिस्ट्रार से है।

2.6 "संचालक मंडल" से अभिप्रेत है धारा 4 के अधीन गठित किसी सहकारी सोसाईटी का कोई ऐसा शासकीय निकाय या प्रबंधन बोर्ड चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाता हो, जिस किसी भी सोसायटी के कार्यकलापों के प्रबंध का संचालन और नियंत्रण सौंपा गया हो।

2.7 "सदस्य" से अभिप्रेत है किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण संबंधी आवेदन में संयोजित होने वाला कोई व्यक्ति जिसे रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् इस अधिनियम तथा उन नियम एवं उपविधियों के जो कि ऐसी सोसाइटी को लागू हो, अनुसार

सदस्यता प्रदान की गई हो और उसके अंतर्गत राज्य सरकार, जबकि वह किसी सोसाइटी के अंशपूंजी के प्रति अभिदाय करती हो आती है।

2.8 "राज्य शासन" का अर्थ मध्यप्रदेश शासन से है।

2.9 "सहकारी वर्ष" से तात्पर्य प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष से है।

2.10 "मुख्य कार्यपालन अधिकारी" से अभिप्रेत है धारा 49 नियुक्त किया गया व्यक्ति और जिसे संचालक मंडल के अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन के अधीन रहते हुये संचालक मंडल द्वारा सोसाइटी के कार्यकलापों का प्रबंध सौंपा गया है।

2.11 "सेवा नियम" से आशय अधिनियम की धारा 55 के अंतर्गत पंजीयक द्वारा प्रसारित सेवा नियमों से है।

2.12 "संपरीक्षक" से अभिप्रेत है सहकारी सोसाइटी की संपरीक्षा के लिए नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति।

2.13 "संपरीक्षक फर्म" से अभिप्रेत है सहकारी सोसायअी की संपरीक्षा के लिए प्राधिकृत कोई चार्टेड एकाउंटेंट फर्म

2.14 " प्रतिनिधि" से अभिप्रेत है सोसायटी का ऐसा कोई सदस्य जो इस सोसायटी को प्रतिनिधित्व अन्य सोसायअी में करने के लिए संचालक मंडल द्वारा निर्वाचित किया गया हो।

2.15 "प्राधिकारी" से अभिप्रेत है धारा 57–ग की उपधारा (1) के अधीन गठित मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन अधिकारी।

2.16 "विनिर्दिष्ट" से अभिप्रेत है अध्यक्ष या सभापति और उपाध्यक्ष या सभापति का पद।

2.17 "नाम मात्र के सदस्य" से तात्पर्य संस्था के कार्य व्यापार से संबंध रखने वाले ठेकेदार/विक्रेता/एजेन्ट/स्वसहायता समूह/संघ आदि से है, जिन्हें संस्था में प्रवेश शुल्क तथा अभिदान राशि लेकर निश्चित अवधि के लिए सदस्यता एवं संबंधता प्रदान की जावेगी।

2.18 "सहकारी सोसायटी अधिनियम" और नियमों के परिभाषिक शब्द प्रसंग यथावत अर्थ रहेगा।

2.19 "कार्यक्षेत्र" से अभिप्रेत है वह क्षेत्र जहां से सदस्यता ली जाती है या जैसा कि सोसायटी की उपविधियों में विनिर्दिष्ट है।

अध्यक्ष

नेताजी सुभाषचंद बोस मेडिकल कॉलेज, जबलपुर एवं संबंधित समस्त संस्था

विभाग में सेवा प्रदाय सहकारिता समिति द्वारा सेवा हेतु निम्न प्रकार के उद्देश्य है।

(3) उद्देश्य :–

संस्था का प्रमुख उद्देश्य अपने सदस्यों एवं संस्था के सुचारू संघ के लिए सफाई, सुरक्षाकर्मी मुहइया कराना एवं अन्य कार्य संबंधित सेवाएं प्रदान कराना। हमारे उद्देश्य निम्न प्रकार है।

1. सफाई :– मेडिकल कैम्पस, रैम्प एवं सभी वार्ड ओ.पी.डी., गार्डन, ओ.टी. एवं सभी सफाई कार्य संपादित करना।
2. सुरक्षा :– संस्था संबंधित जरूरत अनुसार सेवाहित गार्ड, वार्ड, ओ.पी.डी. हॉस्टल, पी.जी. हॉस्टल एवं अधीक्षक कार्यालय सभी संवेदनशील स्थल में सुरक्षा हेतु कार्य कराना।
3. धोबीघाट :– संस्था में मरीज के उपयोग वाले कपड़े जैसे– चादर, कंबल, वार्ड के परदे, ओ.टी. के कपड़े, पैथोलॉजी के बैड शीट एवं सभी संबंधित संस्था के कपड़े धुलाई हेतु कार्य कराना।
4. वर्कशॉप :– ट्रॉली, व्हीलचेयर, आई.व्ही. स्टैण्ड, पलंग एवं संस्था के द्वारा वर्कशॉप कार्य संपादित।
5. किचिन :– मरीजों के लिए भोजन बनाना, कुक, हेल्पर डिस्ट्रब्यूटर उपलब्ध कराना। किचिन संबंधित कार्य संपादित करना एवं समय पर मरीजों का भोजन वितरण प्रणाली संचालित करना।
6. पैथोलॉजी :– संस्था में उपस्थित सेन्ट्रल लैब, ब्लड बैंक हिस्टोपैथोलॉजी, माईक्रोब्योलॉजी एवं समस्त लैब मरीजों से जुड़ी सभी जांच कर्मी उपलब्ध कराना।
7. एक्स–रे :– रेडियों लॉजिस्ट एवं एक्स–रे टेक्नीशियन, एक्स–रे अटांडेट, क्लर्क, डारक रूम अटेन्डेंट संपूर्ण कार्य सम्पादित करना।
8. टेक्नीशियन :– लेब टेक्नीशियन, कॉर्डियोलॉजी, टेक्नीशिन, डायलिसिस टेक्नीशियन एवं समस्त कार्य संपादित हेतु।
9. पंप हाऊस:– संस्था में सभी कार्यलय में जल का संचार कराना जैसे वार्ड, ओ.पी.डी. ओ.टी. लैब, कॉलेज, किचिन एवं समस्त हॉस्पिटल में संचालित करना।

10. वार्ड बाय आया, बाई, लेबर :– वार्ड, ओ.पी.डी., ओ.टी., केज्यूलटी, गायनिक ओ.पी.डी., सर्जरी ओ.पी.डी, आर्थो ओ.पी.डी., मेडिसन, ई.एन.टी., ऑपथैल एवं ओ.पी. डी. में मरीज के सहायक के रूप में कार्य उपलब्ध कराना।

11. पैरामेडिकल :– पैरामेडिकल से संबंधित ओफिशियल बाबू के काम जैसे कंप्यूटर सहायक, पैरामेडिकल स्टूडेंटों के ऑफिशियल काम इत्यादि व्यवस्था संचालित कराना।

12. लिफ्टमेन :– लिफ्ट चालक उपलब्ध कराना।

13. कंप्यूटर ऑपरेटर का कार्य :– ओ.पी.डी. एवं सभी कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर उपलब्ध कराना।

14. भृत्य :– भृत्य सभी कार्यालय में जैसे मेडिसिन ऑफिस, सर्जरी ऑफिस, अधीक्षक कार्यालय, मेंटन ऑफिस उपलब्ध कराना।

15. मेडिकल कॉलेज में कुशल, अकुशल, अर्द्धकुशल एवं उच्च कुशल सभी प्रकार के कार्य संपादित करना।

16. सभी प्रकार की मशीनें उपलब्ध करना एवं इसका मेंटनेंस कराना।

17. साईकिल स्टैण्ड एवं उसका रखरखाव।

18. आवश्यकता पड़ने पर केन्द्रीय सरकार, मध्यप्रदेश शासन के निर्देशों पर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में एजेन्सी के रूप में चिकित्सकीय कार्य संपादित करना/करवाना।

19. अन्य ऐसी समस्त सेवाएं जो मेडिकल महाविद्यालय, चिकित्सालय के लिए उपयोगी हो करवाना।

(4) सदस्यता प्राप्त करने की पात्रता :–

4.1.1 संस्था के सदस्य वे व्यक्ति होंगे जो इन उपविधि संशोधन के पंजीकरण के समय संस्था के सदस्य एवं अमानतदार थे।

4.1.2 इन विधियों के पंजीयन के समय कंडिका (4.1) में उल्लेखित सदस्यों को छोड़कर शेष सदस्य नाममात्र के माने जावेंगे।

4.2.1 वह संस्था के कार्यक्षेत्र का निवासी हो एवं उसने संस्था की उपविधियों को पढ़कर/सुनकर/समझ लिया हो एवं मान्य कर लिया हो।

4.2.2 उसका आचरण अच्छा हो।

4.2.3 उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो और जो अनुबंध करने में सक्षम हो, परन्तु अवयस्क उत्तराधिकारी आयु का प्रतिबंध लागू नहीं होगा। किंतु अवयस्क को न्यायालय द्वारा नियुक्त किये गये संरक्षक के माध्यम से ही सदस्य के रूप में प्रवेश दिया जा सकेगा सदस्य अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुये अपने संरक्षक के माध्यम से अधिकारी का उपयोग कर इन दायित्वों के अधीन रहते हुये कर सकेंगे जो इन उपविधियों में अधिकथित है।

4.2.4 उसने संस्था के एक अंश की राशि व प्रवेश शुल्क जमा कर दिया हो।

4.2.5 उसे दिवालिया घोषित न किया गया।

4.2.6 उसे राजनैतिक ढंग से सजा छोड़कर किसी नैतिकता संबंधी अपराध में दण्डित न किया गया हो।

परन्तु यदि दण्ड की अवधि को 5 वर्ष व्यतीत हो गए हो तो यह अयोग्यता लागू नहीं होगी।

4.2.8 उसके कुटुंब का कोई ऐसा सदस्य जो कि उसके साथ सामान्य हित रखता है ऐसा कारोबार न करता हो जो संस्था द्वारा किये जा रहे कारोबार के समरूप हो।

4.2.9 वित्तपोषक बैंक भी संस्था का सदस्य बनने के लिए योग्य होगी।

4.2.10 राज्य शासन भी संस्था की सदस्यता का पात्र हो सकेगा।

(5) सदस्यों के अधिकार :–

5.1 संस्था के वार्षिक बजट कार्यक्रम, आगामी बजट, गत वर्षों के लिए व्ययों के वित्तीय पत्रक तथा अंकेक्षण टीप पर आमसभा में विचार करने के लिए सभी सदस्यों को समान मताधिकार होगा।

5.2 संस्था के संचालक मंडल में मत देने एवं अभ्यार्थी होने में सभी सदस्यों को समान अधिकार होगा।

5.3 परन्तु व्यतिक्रमी सदस्यों के निर्वाचन संबंधी अधिकार निलंबित रहेंगे। जैसे ही इसे सदस्य व्यतिक्रम की राशि अदा कर देते हैं उनका यह अधिकार बहाल हो जायेगा।

5.4 सभी सदस्यों के अधिकार, अधिनियम, नियम, उपविधि में अन्यथा, उपबंधित स्थिति को छोड़कर समान होंगे।

अध्यक्ष

सचिव

(6) **दायित्व** :– सदस्य का दायित्व समिति द्वारा उसकी प्रदत्त अंशों की राशि तक सीमित होगा।

(7) **सदस्यता से निष्कासन** :– समिति की इस संबंध में आहूत संचालक मंडल की बैठक में उपस्थित एवं मतदान पात्रता रखने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा समिति का कोई भी सदस्य निम्न कारणों से निष्कासित किया जा सकेगा :–

7.1 यदि वह सतत् रूप से सहकारिता क्षेत्र के संरक्षण एवं विकास में सहयोग नहीं करता।

7.2 यदि वह असत्य कथन द्वारा समिति को जानबूझ के धोखा दे रहा हो।

7.3 यदि वह जानबूझ कर ऐसा कार्य करता है जो समिति के हितों के विपरीत हो एवं जिससे समिति की साख को क्षति होने की संभावना हो।

7.4 यदि वह समिति के सुझावों एवं पारित प्रस्तावों की सतत् अवमानना करता हो।

7.5 यदि वह समिति के कार्यक्षेत्र में नियमित निवास नहीं करता है एवं सदस्य बनने हेतु योग्यता में से किसी भी योग्यता से वंचित हो जाता है।

7.6 किन्तु किसी भी सदस्य को निष्कासन से पूर्व उसे संचालक मंडल के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जावेगा और संचालक मंडल का निर्णय अधिनियम की संबंधित धारा (19 सी) के अनुरूप होगा।

7.7 निष्कासित सदस्य को समिति के निर्णय की तिथि से 30 दिवस के भीतर पंजीयक के अंतिम समक्ष पुनरावेदन (अपील) करने का अधिकार होगा। पंजीयक का निर्णय अंतिम समिति तथा संबंधित सदस्य के लिए बाध्यकर होगा।

7.8 अपात्र व्यक्ति की सदस्यता समाप्त करने हेतु समिति द्वारा निर्णय नहीं लेने पर पंजीयक स्वतः युक्ति युक्त सुनवाई कर अवसर देकर सदस्यता से पृथक करने का आदेश प्रसारित कर सकेगा। सदस्यता से निष्कासित सदस्य की अंशपूंजी राशि जब्त की जा सकेगी। ऐसे आदेश के विरूद्ध सदस्य को म.प्र. सहकारी संस्था अधिनियम 1960 की धारा 77 के अंतर्गत अपील करने का अधिकार होगा।

(8) **सदस्यता की समाप्ति** :– निम्नलिखित में से किसी एक भी कारण से किसी भी व्यक्ति की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, किन्तु सदस्या अथवा उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति को 15 दिन में इस निर्णय की सूचना दी जाएगी।

प्रेता

8.1 मृत्यु होने पर।

8.2 संचालक मंडल द्वारा उसका त्याग पत्र स्वीकृत किये जाने पर।

8.3 उसके धारित अंश किसी अन्य को हस्तांतरित हो जाने पर।

8.4 उपनियम 7 के अनुसार निष्कासित करने पर।

8.5 यदि उसने उपनियम करा. में वर्णित कोई भी योग्यता खो दी हो।

8.6 अधिनियम की धारा (19 सी) के अनुसार निष्कासित किये जाने पर।

8.7 जिस सदस्य की सदस्यता समाप्त हो गई हो, संस्था द्वारा उसको देय धनराशि का भुगतान सदस्य पर यदि कोई राशि बकाया हो तो उसके समायोजन के उपरांत उसको देय राशि का भुगतान एक वर्ष की अवधि में कर देगी, किन्तु वह सदस्यता समाप्त होने पर भी उन ऋणों के लिए देनदार होगा जो उसकी सदस्यता समाप्ति की तिथि को देय है।

(9) उत्तराधिकारी का नामांकन :–

9.1 समिति का कोई सदस्य किसी भी व्यक्ति को अपनी मृत्यु के पश्चात् उसके अंश हित या अन्य राशि प्राप्त करने व समिति को देय ऋण अदायगी हेतु नामांकित कर सकेगा। ऐसे व्यक्ति की देनदारी उस सीमा तक रहेगी, जिस सीमा तक उसे सदस्य की संपत्ति प्राप्त हुई है। सदस्य समय–समय पर नामांकन को रद्द कर सकता है या उसमें फेर बदल कर सकता है। ऐसे नामांकन पर सदस्य को दो गवाहों के हस्ताक्षर करने होंगे।

9.2 सदस्य की मृत्यु की दशा में समिति उसके अंशों या अन्य जमा राशियों में से उसके वसूली योग्य राशि कम करके उसके द्वारा नामांकित व्यक्तियों या ऐसे नामांकन के आभाव में संचालक मंडल के निर्णय अनुसार ऐसा व्यक्ति जो उसका वैधानिक उत्तराधिकारी हो, उक्त राशि का क्षतिपूरक वचन पत्र भरने पर भुगतान किया जायेगा।

(10) अंश हस्तांतरण :– कोई भी सदस्य एक वर्ष तक अंश धारण के पश्चात् बोर्ड की स्वीकृति से अन्य सदस्य/सदस्यों को अंश हस्तांतरण कर सकेगा, लेकिन इस हेतु 15 दिन पूर्व हस्तांतरित की सहमति के साथ आवेदन करना होगा।

(11) सदस्यता से हटना तथा त्याग पत्र देना :–

11.1 सदस्य को दो वर्ष तक अंश धारण करने के बाद उसकी राशि प्राप्त करने का अधिकार होगा। लेकिन इस हेतु उसे तीन माह पूर्व संस्था को सूचना देनी होगी, किन्तु इस प्रकार

रजि. सेवा

वापिस की जाने वाली अंश की राशि गत वर्ष 31 मार्च पर संस्था की कुल प्रदत्त अंशपूंजी के 1/10 भाग से अधिक नहीं होगी।

11.2 सदस्य द्वारा संचालक मंडल को त्याग पत्र प्रस्तुत करने एवं स्वीकृति होने पर वह समिति से अलग हो सकेगा परन्तु ऐसा व्यक्ति समिति के देय ऋण या अन्य देनदारी दायित्व के चुकान पर उत्तरदायी रहेगा।

(12) अंशपूंजी :–

12.1 **अधिकृत अंशपूंजी** :– संस्था की रूपये 2,00,000/– (दो लाख) होगी। अंश पूंजी 100/– अंश में विभक्त होगी।

12.2 **प्रदत्त अंशपूंजी** :– अधिकतम पूंजी जो कि एक सदस्य धारण कर सके।

12.2.1 कोई भी सदस्य संस्था की अंशपूंजी का 1/5 या रूपये 50,000/– में से जो भी अधिक हो, से अधिक अंश नहीं ले सकेगा। राज्य शासन द्वारा खरीदे गए हिस्से के लिए यह प्रतिबंधक नहीं रहेगा।

12.2.2 यदि कोई सदस्य उत्तराधिकार या किसी अन्य कारण कंडिका (1) में स्वीकृत अंश धारण करने की अधिकतम सीमा से अधिक का स्वामी हो गया है तो संस्था का ऐसे अधिक अंशो को बेचने अथवा संस्था की ओर से खरीद करने का और ऐसे खरीदे अथवा बेचे गए अंशों द्वारा वसूले हुए धन को सदस्य को सौंपने का अधिकार होगा।

12.3 संस्था के व्यवसाय हेतु पूंजी निम्नानुसार एकत्रित की जाएगी :–

12.3.1 अंश।

12.3.2 सदस्यों की अमानत।

12.3.3 ऋण प्राप्त करके।

12.3.4 दान/अनुदान प्राप्त करके।

12.3.5 प्रवेश शुल्क।

12.3.6 रक्षित निधि एवं निधियां प्राप्त करके।

12.3.7 समिति से संबंध होने के लिए संचालक मंडल द्वारा अधिकृत शुल्क।

12.4 **अंश प्रमाण पत्र** :– सदस्यों को उनके द्वारा प्रतिभूति पत्र प्रस्तुत किये जाने पर तथा 10 रू. प्रति अंश के मान से भुगतान करने पर संचालक मंडल के अनुमोदन से उनके द्वारा अंश प्रमाणपत्र के गुम हो जाने की स्थिति में उसकी प्रतिलिपि जारी की जावेगी।

साधारण सभा में निम्न कार्य होंगे :–

13.3.1 गत साधारण सभा की कार्यवाही की पुष्टि करना।

13.3.2 समिति के वित्तीय लेखे व स्थिति विवरण पत्रक का अनुमोदन करना। समिति द्वारा गत वर्ष में किये गए कार्यों के प्रतिवेदन तथा व्यवसाय कार्यक्रम पर विचार कर अनुमोदन करना।

13.3.3 आगामी वर्ष के लिए वार्षिक कार्य अनुमोदन करना।

13.3.4 बजट पास करना व पिछले वर्ष की अंकेक्षण टीप में उल्लेखित आपत्तियों का निराकरण करना।

13.3.5 समिति की उपविधि अथवा उसके अंतर्गत नियमों में संशोधन परिवर्तन एवं परिवर्धन या निरसन संबंधी प्रस्ताव पारित करके पंजीयक को अनुमोदनार्थ भेजना।

13.3.6 साधारण सभा में संचालक मंडल के सदस्यों तथा प्रतिनिधियों का निर्वाचन तथा निर्वाचन अधिकारी के द्वारा उसकी घोषणा करना।

13.3.7 साधारण सभा द्वारा लाभ वितरण की स्वीकृति देना।

13.3.8 अधिनियम, नियम एवं उपनियम की परिसीमा में संस्था द्वारा प्राप्त किये जाने वाले ऋण एवं अमानतों की अधिकतम सीमा तथा ब्याज दर निश्चित करना।

13.3.9 समिति का अध्यक्ष साधारण सभा की बैठक की अध्यक्षता करेगा। उसकी अनुपस्थिति में सदस्य अपने में से किसी को उस बैठक की अध्यक्षता हेतु नामांकित करेगा। परन्तु संचालक मंडल के सदस्यों के निर्वाचन के बाद सहयोजन (अन्य संस्था के लिए प्रतिनिधि का निर्वाचन) और अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु बुलाई गई संचालक मंडल की बैठक की अध्यक्षता निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जाएगी।

13.3.10 प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। प्रति पुरूष द्वारा मतदान स्वीकार नहीं होगा। किसी बिन्दु पर बराबर मत होने की दशा में अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

(12) संचालक मंडल :– संचालक मंडल में 11 सदस्य होंगे। इनमें से 1 अध्यक्ष एवं 2 उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया जावेगा। संचालक मंडल तथा पदाधिकारियों का कार्यकाल उस तारीख से जिसको संचालक मंडल का प्रथम सम्मेलन किया जाता है, पांच वर्ष होगा।

14.1 निर्वाचित सदस्य –11

14.2 पदेन सदस्य –2

14.2.1 मेडिकल कॉलेज का अधिकारी या उनका प्रतिनिधि।

14.2.2 मेडिकल कॉलेज या उनका प्रतिनिधि।

14.2.3 वित्त दायी बैंक का प्रबंधक या उनका प्रतिनिधि (यदि ऋण प्राप्त करती है)

14.2.4 प्रबंधक संचालक।

(15) संचालक मंडल की शक्तियाँ :– किसी सोसायटी का बोर्ड या संचालक मंडल को उसकी उपविधियों के अनुसार निम्नानुसार शक्ति होगी :–

15.1 सदस्यता स्वीकृत एवं समाप्त करना।

15.2 सभापति एवं अन्य पदधारियों को निर्वाचित करना।

15.3 सभापति एवं पदधारियों के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव और नये पद से हटाने के बारे में निर्णय लेना परंतु उपर्युक्त प्रयोजन के लिए होने वाले सम्मिलन की अध्यक्षता रजिस्ट्रार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा की जाएगी।

15.4 संचालकों द्वारा दिए त्यागा पत्रों का निर्णय लेना।

15.5 रजिस्ट्रार के अनुमोदन से कर्मचारी वृन्द की संख्या नियत करना।

15.6 निम्नलिखित के सम्बंध में नीतियां बनाना।

15.6.1 सदस्यों को सेवाए देने के लिए संगठन एवं उपलब्ध करना।

15.6.2 रजिस्ट्रार के अनुमोदन से कर्मचारी वृन्द की अहर्ताए, भर्ती, सेवा शर्ते, और कर्मचारी वृन्द से संबंधित अन्य विषय।

15.6.3 निधि की अभिरक्षा और विनिधान का ढंग।

15.6.4 लेखा के रखे जाने का कार्य।

15.6.5 निधियों का संचालन, उपयोग एवं विनिधान।

15.6.6 फाइल की जाने वाली विवरणियों के सहित सूचना प्रणाली की निगरानी और प्रबंध।

15.7 साधारण निकाय के अनुमोदन हेतु वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक वित्तीय विवरण, योजना एवं नजात प्रस्तुत करना।

15.8 संपरीक्षा तथा अनुपालन रिपोर्ट पर विचार करन और उन्हें साधारण निकाय के समक्ष प्रस्तुत करना।

15.8 ऐसे अन्य समस्त कृत्य करना जो उपविधियों में विनिर्दिष्ट हैं। परन्तु सहकारी साख संरचना के कर्मचारीवृन्द की अर्हताए, भर्ती सेवा शर्ते, और कर्मचारी वृन्द से संबंधित अन्य मामलों की नीतियाँ, राष्ट्रीय बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार रजिस्ट्रार द्वारा जारी किये गए निर्देशों के अनुसार विचरित की जायेगी।

15.9 संस्था की आमसभा द्वारा अन्य संस्थाओं के लिए चुने गए प्रतिनिधि संचालक मंडल के बड़े सदस्य होंगे।

15.10 यदि किसी कारण से संचालक मंडल का कोई निर्वाचित पद रिक्त हो जाता है तो उसकी पूर्ति उसी वर्ग के सदस्यों में से आगामी संचालक मंडल की बैठक में सहयोजन द्वारा की जाएगी। सहयोजन नहीं कर पाने की स्थिति में पंजीयक द्वारा सदस्य का नामांकन किया जायेगा।

15.11 संस्था का मुख्य कार्यपालन अधिकारी समिति का पदेन सचिव होगा।

15.12 इन उपनियमों में से किसी भी प्रावधान में रहते हुए भी समिति के गठन के समय पंजीयक द्वारा संचालक मंडल 6 माह तक नामांकित होगी। किन्तु पंजीयक को अधिकार होगा कि वे किसी भी नामांकित सदस्य या सदस्यों को हटा सकेगा और तदानुसार रिक्त स्थान की पूर्ती भी कर सकेगा।

(16) संचालक मंडल के सदस्य की अपात्रता :– कोई भी सदस्य संचालक मंडल की सदस्यता हेतु अधिनियम तथा नियमों में दर्शित अपात्रता के अतिरिक्त अपात्र होगा यदि वह :–

16.1 समिति के व्यापार के अनुरूप व्यापार करता हो।

16.2 दिवालिया हो अथवा दिवालिया घोषित किया गया हो।

16.3 पागल हो गया हो।

16.4 किसी नैतिक पतन के अपराध में दण्डित किया गया हो।

16.5 समिति के अधीन किसी भी ऐसे पद पर ऐसे स्थान पर हो, जिसका मेहनताना (वेतन) मिलता हो।

16.6 यदि एक अंश का सभी स्वामी न रहा हो।

16.7 राज्य शासन/केन्द्र शासन या किसी सहकारी संस्था की सेवा में हो या उसे इनकी सेवाओं से निकाला गया हो।

समिति मर्या.

(17) संचालक मंडल की बैठक :–

17.1 संचालक मंडल की बैठक कम से कम तीन माह में एक बार तथा आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाई जा सकेगी।

17.2 गणपूर्ति 6 सदस्यों की उपस्थिति से होगी। गणपूर्ति के आभाव में कोई भी बैठक सम्पन्न हुई नहीं मानी जाएगी। समस्त प्रस्ताव पर निर्णय बहुमत द्वारा लिया जायेगा।

17.3 समान मत होने की दशा में अध्यक्ष को निप्रय एवं निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। अध्यक्ष संचालक मंडल की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा अध्यक्षता की जाएगी।

(18) साधारण सभा के लिए गणपूर्ति :–

18.1 सोसाईटियों की उपविधियों में जब तक अन्यथा उपबंधित न हो साधारण सम्मिलन की गणपूर्ति की सूचना की तारीख को कुल सदस्य संख्या के 1/10 से पचास से होगी।

18.2 किसी भी सभा में तब तक कोई काम का काज नहीं किया जायेगा जब तक कि सभा का काम काज प्रारंभ होने के समय गणपूर्ति न हो।

18.3 यदि सम्मिलन के लिए नियत समय के आधा घंटा के भीतर गणपूर्ति न हो तो, सम्मिलन, जब तक कि सम्मिलन की बुलाये जाने की सूचना पत्र में अन्यथा उल्लेखित न हो, सभापति द्वारा ऐसी तारीख, ऐसे समय और स्थान के लिए स्थगित कर दिया जायेगा जैसा कि वह घोषित करे और स्थगित सम्मिलन के लिए गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी और स्थगित सम्मिलन में सदस्यों को सूचना के साथ परिचालित की गई कार्य सूची के विषयों पर चर्चा की जाएगी। परन्तु सम्मिलन जो धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन सदस्यों की अध्यपेक्षा पर बुलाया गया हो, स्थगित नहीं किया जायेगा किन्तु विघटित कर दिया जायेगा।

(19) साधारण सभा के कार्यवृत्त :–

19.1 साधारण सभा की कार्यवाही के कार्यवृत्त उस आशय के लिए रखी गई पुस्तक में अंकित किये जावेंगे तथा उस पर सभा के हस्ताक्षर होंगे, इस प्रकार से हस्ताक्षरित कार्यवृत्त उस सभा की सभी कार्यवाहियों का साक्ष्य होगा।

19.2 जब तक कि इसके विपरीत सिद्ध न किया जाये, संस्था की प्रत्येक साधारण सभा जिसकी कार्यवाहियों के संबंध में कार्यवृत्त इस प्रकार लेखबद्ध किये गए हों, विधिवत बुलाई गई तथा की गई समझी जाएगी।

अध्यक्ष

19.3 यथास्थिति, साधारण सम्मिलन या विशेष साधारण सम्मिलन, के कार्यवृत्त ऐसे सम्मिलनप की तारीख से 30 दिन के भीतर, सम्मिलन के सभापति द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित, सोसायटी के प्रत्येक सदस्य को डाक प्रमाण पत्र के अधीन भेजा जायेगा।

(20) मुख्य कार्यपालन-अधिकारी :– मुख्य कार्यपालन अधिकारी के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व निम्नानुसार होंगे –:

20.1 समिति के कार्यकारी प्रशासन का उत्तरदायित्व वहन करना। संचालक मंडल के कार्यकारी प्रशासन का उत्तरदायित्व वहन करना। संचालक मंडल के निर्देशानुसार साधारण सभा एवं अध्यक्ष के निर्देशानुसार संचालक मंडल की बैठक बुलाना उसमें उपस्थित रहना तथा ऐसी बैठकों की कार्यवाही संबंधित पुस्तक अंकित करना एवं हस्ताक्षर करना।

20.2 संचालक मंडल के निर्देशों के अनुरूप समिति के अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से राशि निकालना, जमा करना एवं आवश्यक खर्च करना तथा संचालक मंडल के निर्देशों के अनुरूप समिति की राशि वसूलना।

20.3 समिति के लिए सभी रसीदें, प्रमाणक, वार्षिक प्रतिवेदन, स्थिति विवरण पत्रक तैयार करना एवं समयावधि में सहकारी विभाग, नियम, जिला प्रबंधक एवं बैंकों की आवश्यक जानकारी एवं लेखा उपलब्ध कराना।

20.4 समिति के सामान्य प्रशासन संबंधी पत्र व्यवहार करना, सदस्यों को सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना एवं विशिष्ट मामलों पर अध्यक्ष की अनुमति से पत्र व्यवहार करना।

20.5 अंकेक्षण प्रतिवेदन बिना विलम्ब के संचालक मंडल के समक्ष प्रस्तुत करना, प्रतिवेदन में वर्णित त्रुटियों का त्वरित निराकरण करना एवं संचालक मंडल से अनुमोदित कराकर एक माह में उसे अंकेक्षण पंजीयक प्रस्तुत करना।

20.6 समिति के अन्य कर्मचारियों को मार्गदर्शन देना, उनके कार्य पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण करना। संचालक मंडल को उनके कार्यों की जानकारी देना एवं संचालक मंडल की सहमति से उनके कर्तव्यों का निर्धारण करना।

20.7 समिति की रोकड़ पुस्तक एवं अन्य लेखा पुस्तकों/कार्यवाही किताबों की नियमित लिखना या लिखवाना तथा उनकी पर्यवेक्षण करना एवं हस्ताक्षर करना।

अध्यक्ष

22.4.1 65 प्रतिशत तक समिति को प्रदाय किये गये लाभ के अनुरूप सदस्यों को प्रोत्साहन बोनस के रूप में दिया जावेगा। प्रबंध सदस्यों को मिलने वालो बोनस की सम्पूर्ण राशि या उससे एक भाग की जो राशि समिति के पूंजी निर्माण हेतु सदस्यों द्वारा विनियोजित करने की योजना बना सकेगा जो समिति एवं सदस्यों पर बंधनकारी होगा।

22.4.2 5 प्रतिशत सहकारी प्रचार निधि में लाया जायेगा।

22.4.3 10 प्रतिशत कर्मचारियों को बोनस देने में प्रयुक्त होगा। कर्मचारियों को बोनस संचालक मंडल के निश्चय अनुसार दिया जायेगा। यह सामान्यतः एक माह से अधिक नहीं होगी। बोनस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कर्मचारियों को बोनस दिया जायेगा।

(23) विविध :–

23.1 समिति के हिसाब एवं लेखा पंजियाकल द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूपों में ऐसा सुधार एवं परिवर्तन के साथ जो संचालक मंडल उपयुक्त समझे रखे जायेंगे।

23.2 समिति का कोई भी सदस्य कार्यालीन समय में अपने व्यवसाय से संबंधित कोई भी पंजी या लेखे का परीक्षण कर सकेगा।

23.3 अध्यक्ष अथवा संचालक मंडल का एक या अधिक सदस्य और प्रबंधक जैसा कि संचालक मंडल का एक या अधिक सदस्य और से अभिलेख निष्पादन रसीद देने, अंश प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने, बैंक से व्यवहार करने का अधिकार होगा। जबकि रसीद समिति द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्तांतरित की जाएगी।

23.4 किसी भी व्यक्ति को निर्वहन की जाने वाली सूचना विशेष वाहक अथवा पंजीकृत पते पर निर्धारित रीति से "साधारण" डाक द्वारा एवं वर्तमान आधुनिक युग में मोबाईल संदेश तथा ई–मेल के माध्यम से भेजी जाएगी।

23.5 समिति म.प्र. राज्य अंत्यावसायी सहकारी विकास निगम मर्या. भोपाल जिला सहकारी बैंक जिला सहकारी संघ एवं अन्य ऐसी संस्थाओं में से जो कि समिति के उद्देश्य की प्राप्ति में उपयोगी हो सम्बद्ध होगी।

23.6 रक्षित निधि एवं अन्य निधियाँ पूर्णतः समिति की होगी और अभिभाज्य होगी। परिसमापन पर रक्षित निधि तथा अन्य निधियों का उपयोग अधिनियम तथा नियम के अंतर्गत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

अध्यक्ष

23.7 इन उपनियमों में जिसका समावेश नहीं हुआ है, उन सभी बातों अधिनियम तथा नियम के प्रावधानों के अनुसार व्याख्या करते हुए उनका निराकरण किया जायेगा।

23.8 समिति की संचालक मंडल का चुनाव करते सहकारी अधिनियम तथा पंजीयक द्वारा निर्देशित पद्धति से किया जावेगा।

23.9 इन उपनियमों की व्याख्या में कोई मतभेद होने की दशा में पंजीयक का निर्णय अंतिम होगा एवं सभी पक्षों को बंधनकारी होगा।

23.10 पंजीयक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा बुलाई जाने वाली विशेष साधारण इन नियमों अथवा संस्था की उपविधियों से साधारण सभा बुलाने के तरीकों एवं कथित आशय के लिए दी जाने वाली सूचना की अवधि के संबंध में किसी भी बात के रहते हुए भी पंजीयक अथवा इस कार्य के लिए उसके द्वारा प्राधिकर्ता कोई भी व्यक्ति, धारा 50 की उपधारा (2) के अधीन विशेष साधारण सभा ऐसी रीति से एवं ऐसे दिनांक, समय अथवा स्थान पर जैसा कि वह निर्देश दे एवं उल्लेख करें कि सभा में किस बात पर चर्चा की जायेगी, विशेष साधारण सभा बुला सकेगा, पंजीयक अथवा इस कार्य के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति ऐसी सभा की अध्यक्षता करेगा एवं सभा के अध्यक्ष की सभी शक्तियों का उपयोग एवं कर्तव्यों का, जिसमें सभा को आगे के दिनों जो कि उसके द्वारा निर्दिष्ट किया जावे पर बढ़ाना भी सम्मिलित है, पालन करेगा किन्तु जब तक वह संस्था का सदस्य न हो उसे तक देने का अधिकार नहीं होगा, ऐसी स्थिति में जब तक कि मतों की संख्या समान हो तो कमेटी के सदस्यों के चुनाव के मामले के अतिरिक्त जबकि उसका हल चिट्ठी डालकर किया जावेगा, उसे निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

(24) साधारण निकाय द्वारा कमेटी के सदस्यों का निर्वाचन :- सोसायटी अपनी सहमति में सदस्यों के निर्वाचन के प्रयोजन के लिए, उसकी सदस्यता को, क्षेत्रीय अथवा अन्य किसी आधार पर जैसा कि उपविधियों में निनिर्दिष्ट किया जाये, विभिन्न समूहों में विभाजित कर सकेगी। निर्वाचन सहकारी अधिनियम 1960 व नियम 62 के अधीन बनाये प्रावधानों अनुसार होगी।

Approved & Registered
Under ....
Date ....

सहायक पंजीयक
सहकारी संस्थायें जबलपुर

अध्यक्ष

सेवा प्रदाय समिति नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज, जबलपुर

क्र.	सदस्यों के नाम	पद	हस्ताक्षर
1	दुर्गेश ठाकुर	अध्यक्ष	
2	संदीप शर्मा	उपाध्यक्ष	
3	रोहित तिवारी	~~उपाध्यक्ष~~	
4	वाल्मिक शुक्ला	~~सदस्य~~	
5	कौशलपुरी गोस्वामी	~~सदस्य~~	
6	संतोष विश्वकर्मा	~~सदस्य~~	
7	सुदीप वर्मन	सदस्य	
8	परमानन्द रजक	सदस्य	
9	साधना ओझा	सदस्य	
10	मुन्नी बाई	सदस्य	
11	अजय वाल्मिक	सदस्य	

Durgesh Thakur

अध्यक्ष
सेवा प्रदाय समिति
नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज,
जबलपुर